

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 — अश्विन 20, शक 1948

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE/839/2026-TRANSPORT.— यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2021, दिनांक 11 मार्च, 2025 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भाड़ा के निर्धारण के संबंध में, निम्नलिखित और निर्देश जारी करती है, जो नगर सेवाओं से भिन्न प्रक्रम वाहनों के लिए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा, अर्थातः—

निर्देश

प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य किराया होगा—

(क) वोल्वो, स्केनिया, मर्सिडीज आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं के लिए—

स.क्र.	सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	सुपर लक्जरी वातानुकूलित	रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रु. 03.30 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए
2.	सुपर लक्जरी वातानुकूलित अर्द्ध-शयन एवं शयनयान	रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रु. 03.30 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए और वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान में सीटों के लिए रु. 03.00 प्रति यात्री, प्रति कि०मी० तथा शयनयान के लिए रु. 03.30 प्रति यात्री, प्रति कि०मी०

(ख) वोल्वो, स्केनिया, मर्सिडीज आदि सुपर लक्जरी वातानुकूलित सेवाओं से भिन्न :—

स.क्र.	वाहन सेवा का प्रकार	प्रभार्य यात्री किराया
(1)	(2)	(3)
1.	साधारण बस सेवा के लिए	रुपये 10.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रु. 01.75 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए
2.	साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए	साधारण बस सेवा के किराये का 10 (दस) प्रतिशत अधिक
3.	डीलक्स बस सेवा के लिए	रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
4.	डीलक्स बस रात्रिकालीन सेवा के लिए	रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
5.	डीलक्स शयनयान कोच एवं	डीलक्स शयनयान के लिए रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी

	अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा वातानुकूलन रहित के लिए	के लिए और तत्पश्चात् रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध-शयनयान के लिए रु. 12.00 प्रति यात्री प्रति 05 कि.मी. दूरी तक के लिए तथा तत्पश्चात् सीटों के लिए रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
6.	डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा वातानुकूलित सहित के लिए	डीलक्स शयनयान वातानुकूलन के लिए रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात् रु. 03.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान के लिए रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए तथा तत्पश्चात् सीटों के लिए रु. 03.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी. एवं शयनयान (बर्थ) के लिए रु. 03.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.

टीप:-

- उपरोक्तानुसार संगणित किराए की राशि में 0.50 पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 0.50 पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणतः सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है, जिसकी एक ओर की दूरी 200 कि.मी. से अधिक होती है।
- “रात्रिकालीन” “वातानुकूलित” “शयनयान” अथवा “अर्द्ध-शयनयान” सेवा का यथा-स्थिति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञा-पत्र में उल्लेख होना चाहिए, तभी इन वर्गों के लिए निर्धारित किराया संगणित किया जावेगा और तदनुसार किराया-सूची जारी की जावेगी।
- यात्री वाहनों के नवीन किराये की दर में वोल्वो, स्केनिया, मर्सीडीज बस सेवा के प्रस्तावित किराये की दर को भी सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश नीचे अनुसूची में दिए गए शर्तों के अधीन दिया जाएगा:-

अनुसूची

- (1) नीचे दिये गये व्यक्ति—

- नेत्रहीन व्यक्ति।
- मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति।
- विकलांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हों।
- वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो, और
- एच.आई.वी. एड्स (Immune-Suppress) से पीड़ित व्यक्ति।

उपरोक्त “अ” से “ई” में उल्लेखित व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर उपचार अथवा अन्यथा के लिए एक सहायक के साथ यात्रा करें, उन्हें यात्री किराये में 100% छूट दी जाएगी, अर्थात् कोई किराया नहीं लिया जावेगा।

- (2) (क) सरल क्रमांक-01 में उल्लेखित दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति के लिए, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र।

(2) (ख) एच.आई.वी. एड्स (Immune-supress) से पीड़ित मरीज के लिए, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर ए.आर.टी. केन्द्र या कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होंगे तथा ऐसे प्रमाण-पत्र विकलांग व्यक्ति तथा एच.आई.वी. एड्स से पीड़ित मरीज द्वारा यात्रा के दौरान यात्री बस के चालक/परिचालक को प्रस्तुत किये जाएंगे।

- (3) छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी कोई व्यक्ति, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा सम्यक रूप से जारी किया गया “नक्सल प्रभावित व्यक्ति” का प्रमाण-पत्र रखकर, यदि राज्य के भीतर यात्री बस द्वारा यात्रा के दौरान इसे दिखाता है तो उसे 50 प्रतिशत यात्री किराये के भुगतान से छूट दी जाएगी।

- (4) सरल क्रमांक-01 से 03 में उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी परमिट होल्डर के विरुद्ध अधिनियम की धारा-86 के अधीन एवं परिचालक के विरुद्ध अधिनियम की धारा-34 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरसिंह प्रसाद मरावी, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th October 2026

NOTIFICATION

No.F-RULE/839/2026-TRANSPORT.— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and in supersession of the notification of this Department No. F-5-7/VIII-Trans./2021, dated 11 March 2025, the State Government, hereby, issues the following further directions to the State Transport Authority and Regional Transport Authority regarding fixation of fare, which shall come into effect from the date of its publication in the Gazette, for Stage Carriages other than city services, namely:-

DIRECTIONS

Fare chargeable by Stage Carriages shall be:-

(A) For Volvo, Scania, Mercedes etc., Super Luxury Air-Conditioned Services –

S. No	Type of Service	Chargeable Passenger Fare
(1)	(2)	(3)
1.	Super Luxury Air-Conditioned	Rs. 12.00 per passenger for first 05 kilometers and there after Rs. 03.30 per passenger, per kilometer or part thereof.
2.	Super Luxury Air-Conditioned Semi- Sleeper and Sleeper	Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 03.30 per passenger, per kilometer or part thereof and in Air-Conditioned semi sleeper for seats Rs. 03.00 per passenger, per kilometer and for sleeper (Berth) Rs. 03.30 per passenger, per kilometer.

(B) Other than Volvo, Scania, Mercedes etc., Super Luxury Air-Conditioned Services :-

S. No	Type of Service	Chargeable Passenger Fare
(1)	(2)	(3)
1.	For Ordinary Bus Service	Rs. 10.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 01.75 per passenger, per kilometer or part thereof.
2.	For Ordinary Night Bus Service	10% (Ten percent) excess of the fare of Ordinary Bus Service.
3.	For Deluxe Bus Service	Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 02.20 per passenger, per kilometer
4.	For Deluxe Night Service	Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and there after Rs. 02.20 per passenger, per kilometer
5.	For Deluxe Sleeper Coach and Semi-Sleeper Coach Service Non Air-Conditioned	For Deluxe Sleeper Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 02.20 per passenger, per kilometer or part thereof and in Deluxe Semi-Sleeper Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 02.20 per passenger, per kilometer for seats and for sleeper (Berth) Rs. 02.20 per passenger, per kilometer.
6.	For Deluxe Sleeper Coach and Semi-Sleeper Coach Service Air-Conditioned	For Deluxe Sleeper Air-Conditioned Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter Rs. 03.20 per passenger, per kilometer or part thereof and for Deluxe Semi-Sleeper Air-Conditioned Rs. 12.00 per passenger up to a distance of 05 kilometers and thereafter for seats Rs. 03.20 per passenger, per kilometer and for sleeper (Berth) Rs. 03.20 per passenger, per kilometer.

Note:-

1. In the fare amount calculated as per the above, any amount of 50 paise or more shall be rounded off to the next higher rupee, and any amount less than 50 paise shall be ignored.
2. “Night bus service” means a service which generally operates between sunset and sunrise, and the distance of which is 200 kilometers on one way.
3. The type of Service such as “Night”, “Air-Conditioned”, “Sleeper Coach” or “Semi-Sleeper Coach” shall be entered in registration certificate and shall be mentioned in the permit and fare shall be calculated as per the type of service.
4. The proposed fare rates for Volvo, Scania, and Mercedes bus services have also been included in the new fare structure for passenger vehicles.

The above directions shall be subject to the conditions mentioned in the Schedule below:-

SCHEDULE

- (1) The below mentioned persons along with attendant shall be exempted 100% from the fare, namely:
- Persons with blindness,
 - Intellectual Disabled Person,
 - Persons with disability by both the legs.
 - Senior citizens whose age is eighty years and above,
 - Patients suffering from HIV (AIDS)
- (2) (a) For person with disability by both legs mentioned in serial number (1)(c), a certificate with photograph issued by the officers of Panchayat and Social Welfare Department or officer of Government Hospital.
- (b) For Patients suffering from HIV/AIDS, (Immune suppress) a certificate with photograph issued by the Chief Medical Officer of the District or Officers of the Chhattisgarh State AIDS Control Society, Raipur, ART Centers, or Cancer Hospitals, shall be acceptable and such certificate shall be presented by the person with disability during the journey to the conductor/driver of the passenger bus.
- (3) Any person being a resident of Chhattisgarh State, on production of a certificate of "Maoism Affected Person" duly issued by the Collector on the recommendation of the Superintendent of Police of the concerned District while travelling by passenger bus within the State, shall be exempted from paying 50% of the fare.
- (4) In case of breach of any conditions mentioned in serial number (1) to (3) mentioned above action shall be taken against permit holder under section 86 and against the conductor under Section 34 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NARSINGH PRASAD MARAVI, Deputy Secretary.